

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

आहरण एवं वितरण अधिकारी,
पंचायती राज निदेशालय, उत्तर प्रदेश।

संख्या: 1/शा0/29/2020-1/175/2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 अनुदान संख्या-14 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेस-2 के अन्तर्गत राज्य स्तर से केन्द्रांश रू0-19995.00 लाख की धनराशि का आवंटन।

लखनऊ: दिनांक 14 सितम्बर, 2022

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप सचिव, पंचायती राज अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-33/3002(001)/4/2022-3 दिनांक 12 सितम्बर 2022 (प्रति संलग्न) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अनुदान संख्या-14 में प्राविधानित केन्द्रांश की धनराशि रू0-82614.27 लाख के सापेक्ष केन्द्रांश रू0-19995.00 लाख (रूपया एक अरब निन्नानबे करोड़ पिच्चान्बे लाख मात्र) की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है। अतः उपरोक्तानुसार स्वीकृत 19995.00 लाख (रूपया एक अरब निन्नानबे करोड़ पिच्चान्बे लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती हैं:-

- 1- उपरोक्तानुसार आवंटित धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेस-2 योजनान्तर्गत निर्गत गाइडलाइन/दिशा निर्देश के अनुसार किया जायेगा।
- 2- उक्तानुसार आवंटित धनराशि का आहरण परियोजनावार किया जायेगा तथा अग्रिम वित्तीय स्वीकृति प्रस्तावित करते समय परियोजनावार लागत, उसके सापेक्ष स्वीकृत धनराशि, व्यय धनराशि, प्राप्त वित्तीय भौतिक प्रगति का विवरण तालिकावार प्रस्तुत किया जायेगा।
- 3- उक्तानुसार आवंटित धनराशि के संबंध में आंकड़ों की शुद्धता एवं अनुमन्यता की पुष्टि व धनराशि के व्यय के अनुपालन का दायित्व नोडल अधिकारी, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0), उ0प्र0 का होगा।
- 4- उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- 5- उपरोक्तानुसार आवंटित धनराशि का कोषागार से आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार चरणों में किया जायेगा।
- 6- उक्तानुसार आवंटित धनराशि का आहरण एवं व्यय योजना विषयक गाइडलाइन/दिशा निर्देश तथा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवंटित धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्योंके प्राप्त होने व उसके परीक्षण/सत्यापन हेतु लेखा एवं बजट अनुभाग को उपलब्ध करायी जाय।
- 7- भारत सरकार द्वारा निर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन की व्यवस्था के अनुसार उक्त आवंटित धनराशि को स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा जवाहर भवन, लखनऊ स्टेट स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के नाम से सिंगल नोडल एकाउण्ट सं0-40366745654 आई0एफ0एस0सी0 कोड SBIN0006144 में जमा किया जायेगा।

8- आवंटित की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें ब्याज अर्जित होता है तो अर्जित ब्याज के नियमानुसार समायोजन/निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने का दायित्व नोडल अधिकारी का होगा।

9-उक्तानुसार आवंटित धनराशि का व्यय जिन कार्यों/योजनाओं हेतु आवंटित की जा रही है, धनराशि का व्यय उन्ही मदों में अनुमन्य होगा। अन्य मदों में व्यय अनुमन्य न होगा।

10-उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-14 के लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-101-पंचायती राज-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0103-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत स्वच्छ शौचालयों का निर्माण (जिला योजना) (के060/रा040-के0+रा0)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामें डाला जायेगा।

11- आवंटित की जा रही धनराशि से यथावश्यकता सामग्री, उपकरण आदि के क्रय हेतु सामग्रीकय संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

12- शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेश/दिशा-निर्देशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

13- नोडल अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है अर्थात् किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

14- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र सं0-एस-12011/4/2020-एस0बी0एम0-डी0डी0डब्लू0एस0, दिनांक 01-08-2022 में अंकित दिशा-निर्देश/शर्तों का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।

11- प्रश्नगत व्यय के दौरान वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था के अनुपालन का दायित्व नोडल अधिकारी, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ0प्र0 का होगा।

12-आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण तिथि, बाउचर संख्या, आहरण की धनराशि सूचना निर्धारित रूपपत्र बी0एम0-4 पर बजट एवं लेखा अनुभाग को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

13-उक्त धनराशि का व्यय उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर निर्गत विस्तृत मार्ग निर्देशों एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन की व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा।

14-उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर नोडल अधिकारी, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ0प्र0 इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।

15-धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण-पत्र निर्धारित रूपपत्र पर महालेखाकार उ0प्र0 प्रयागराज तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या- 145 पर अंकित है।

संलग्न:-उक्तानुसार।

भबदीय,

(अनुज कुमार झा)

निदेशक,


पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्या:1/शा0/29/1/2022 उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।

- 2- वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15-1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, प्रयागराज-211001.
- 3- अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 4- उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
- 5- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- उप निदेशक(पं0)/योजना प्रभारी, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।
- 7- एस0पी0एम0यू0 सेल, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।


(प्रदीप कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2022-2023
आवंटन दिनांक-14/09/2022

प्रेषण संख्या:- 1-sha-29-2022-1-175-2022
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1-175-2022
अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - पंचायती राज


01 -

03 - स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत स्वच्छ शौचालयों का निर्माण (जिला योजना)(के.60/रा.40-के.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2287-निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0, लखनऊ-01-पंचायत राज निदेशालय	वर्तमान प्रगामी	1999500000 1999500000	1999500000 1999500000
	योग	वर्तमान प्रगामी	1999500000 1999500000	1999500000 1999500000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक अरब निन्यानवे करोड़ पंचानवे लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक अरब निन्यानवे करोड़ पंचानवे लाख



(प्रदीप कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी